<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–113/2016</u>

हाशीम गद्दी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 गौदन देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>06.03.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 06.03.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से ''**नो आब्जेक्शन**'' लिखा गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1क की मृत्यु दिनांक 02.08.20 को हो चुकी है तथा इनके विधिक वारिसान इस वाद में पूर्व से ही पक्षकार है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1क का नाम कलमजद करने की कृपा की जाय। वादीगण का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1क की मृत्यु दिनांक 02.08.20 को हो चुकी है तथा उनके विधिक वारिसान इस वाद में पूर्व से ही पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1क का नाम कलमजद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)

<u>पश्चात</u>

वादीगण की ओर से आज एक आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से ''**नो आब्जेक्शन**'' लिखा गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–8 की मृत्यु दिनांक 15.01.21 को हो चुकी है तथा वे अपने पीछे अपनी बिधवा मु0 जानकी देवी व 4 पुत्रियों इन्दू देवी, गिरिजा देवी, शांति देवी तथा श्रीकांति देवी को छोड़ गए हैं। प्रतिवादी संख्या–8 की पत्नी जानकी देवी इस वाद में पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या–9 है। अतः आवेदन मे वर्णित प्रतिवादी संख्या–8 के विधिक वारिसानों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–8 की मृत्यु हो चुकी है तथा वे अपने पीछे अपनी पत्नी जानकी देवी व 4 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी इस वाद में पूर्व से ही पक्षकार है। अतः न्याय हित में कार्यालय आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रतिवादी संख्या–8 के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात वादीगण नये प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 07.04.21

अवर न्यायाधीश(प्रथम)